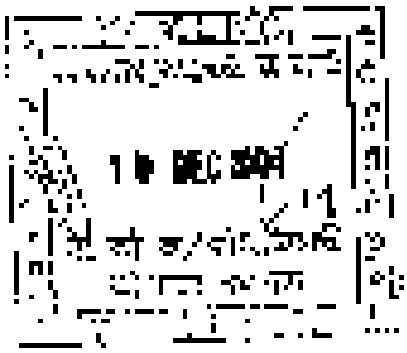

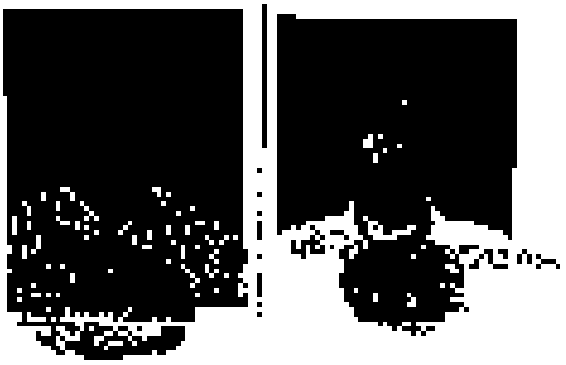

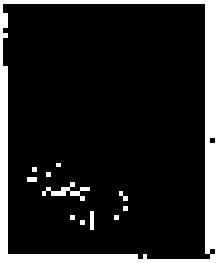

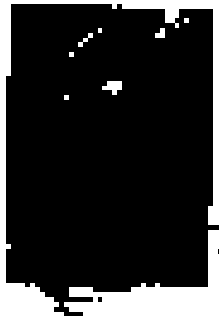

Rs.15000   Rs.15000

0238 419630

10 DEC [illegible]

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रु० 1,41,000/-
बाजारु मूल्य : रु० 1,43,000/-
स्टाम्प शुल्क : रु० 15,000/-
स्थान : [illegible]

यह विक्रय विलेख ग्राम [illegible] स्थित [illegible] हुआ है : श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible], निवासी [illegible] परगना [illegible] व जिला— लखनऊ, [illegible]

[illegible]

1000Rs.

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

आगे विक्रेता कहा गया है, हाथ देवता पुत्र श्री रघुनाथ भासी वर्तमान पता –254, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ स्थाई पता–निधि पुरे का पुरवा पोस्ट–भनियामऊ चौबारा, जिला रायबरेली, जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा नं0 254 रकबा 0.137 हेक्टेयर के 3/4 भाग अर्थात 0.103 हेक्टेयर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व स्वामित्व है तथा उपरोक्त सम्पत्ति भूस्वामित्व

दुय्यम निबंधक, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

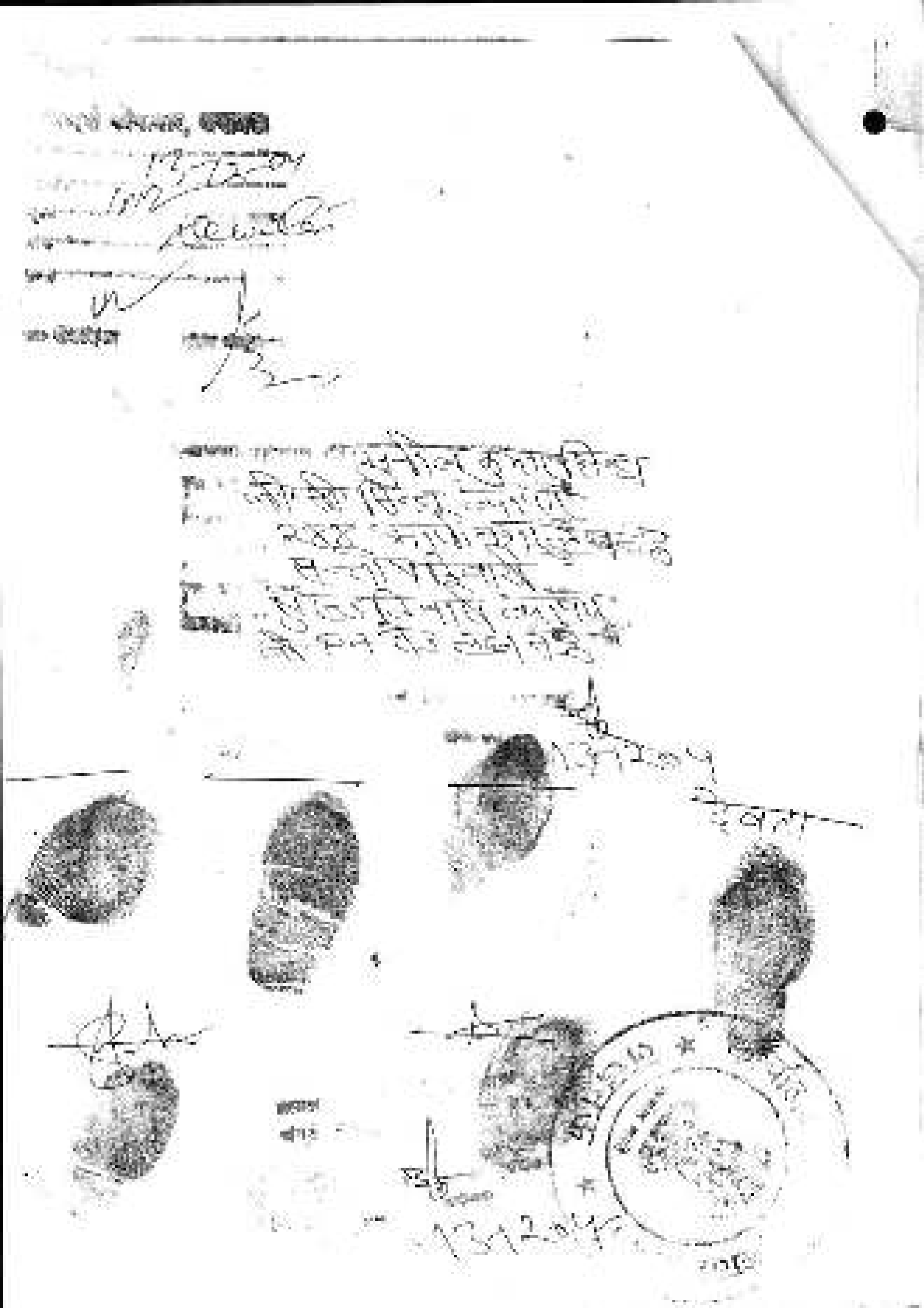

1000Rs.

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

खाता खतौनी संख्या 222 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम पर अंकन राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपनी कुल भूमि [illegible] को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रही है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि की मालिक, काबिज व स्वामिनी है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं भार व बाधा रहित है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं रेहन, हिबा, डिक्री या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि का अथवा कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अधीन विवाद का वस्तु विषय नहीं है। न

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

ही पूर्ण हकदार है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप रु० 1,93,379/- (एक लाख तिरानबे हजार तीन सौ उनासी रुपये) के प्रतिफल में जिसका कि अधोहस्ताक्षरी क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हक अधोहस्ताक्षर वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत किया गया

1000 Rs.

१०००रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

है, एवं कब्जा दे दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को सुपुर्दगी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के

100 Rs.

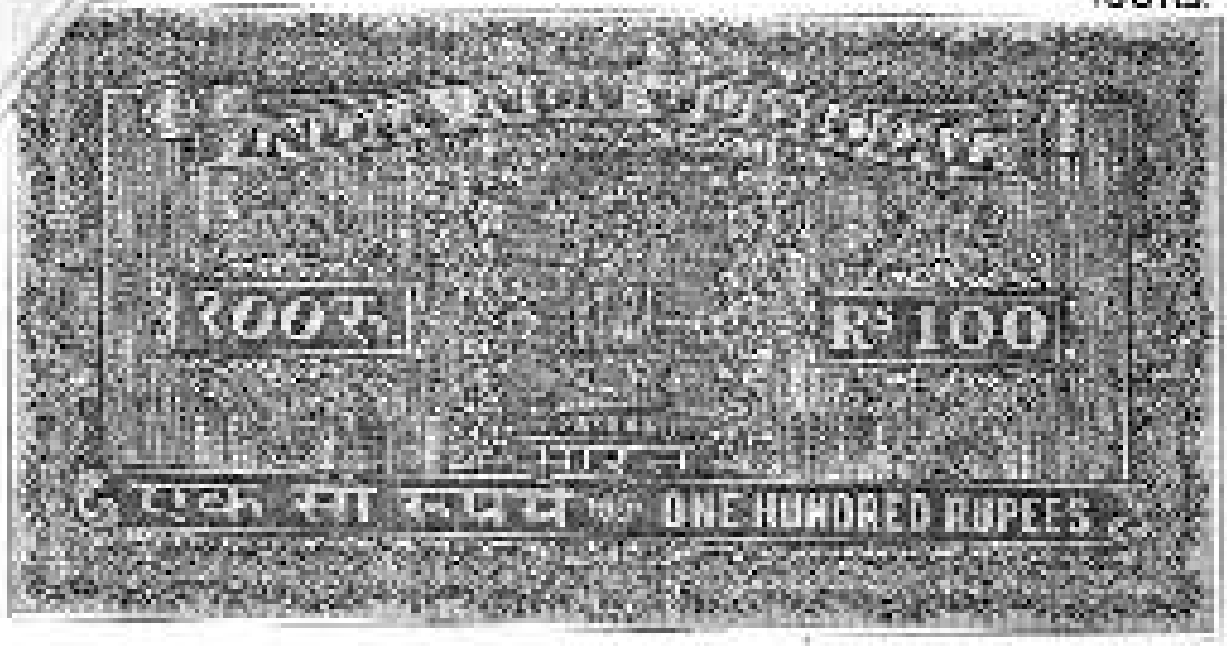

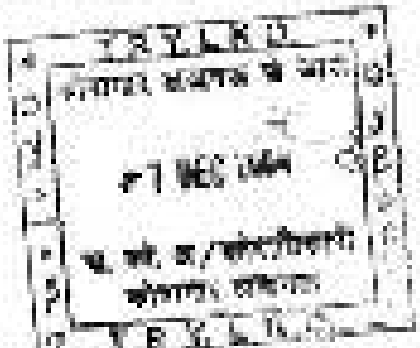

१००रु. ₹100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल - अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। इस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें या विक्रेता को कोई

100 Rs.

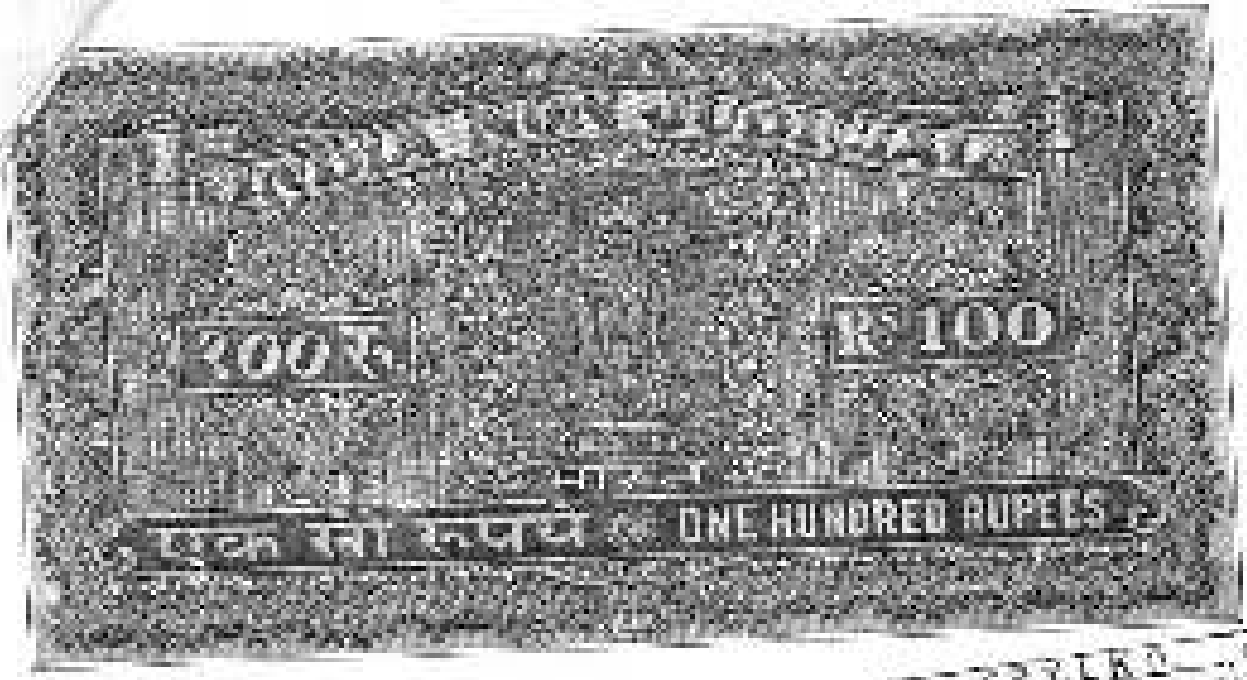

१०० रु. ₹ 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व सहन करेगा, क्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त [illegible] ग्राम [illegible] नगर [illegible], [illegible] क्षेत्र के निर्दिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आती है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.10 हेक्टेयर की मालियत रू0 1,10,000/- आती है, तथा उक्त भूमि पर [illegible] है जिसकी कीमत रू0 30,000/- होती है इस प्रकार भूमि की कुल मालियत रू0

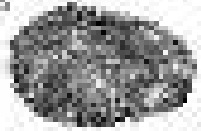

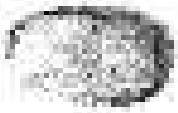

100 Rs

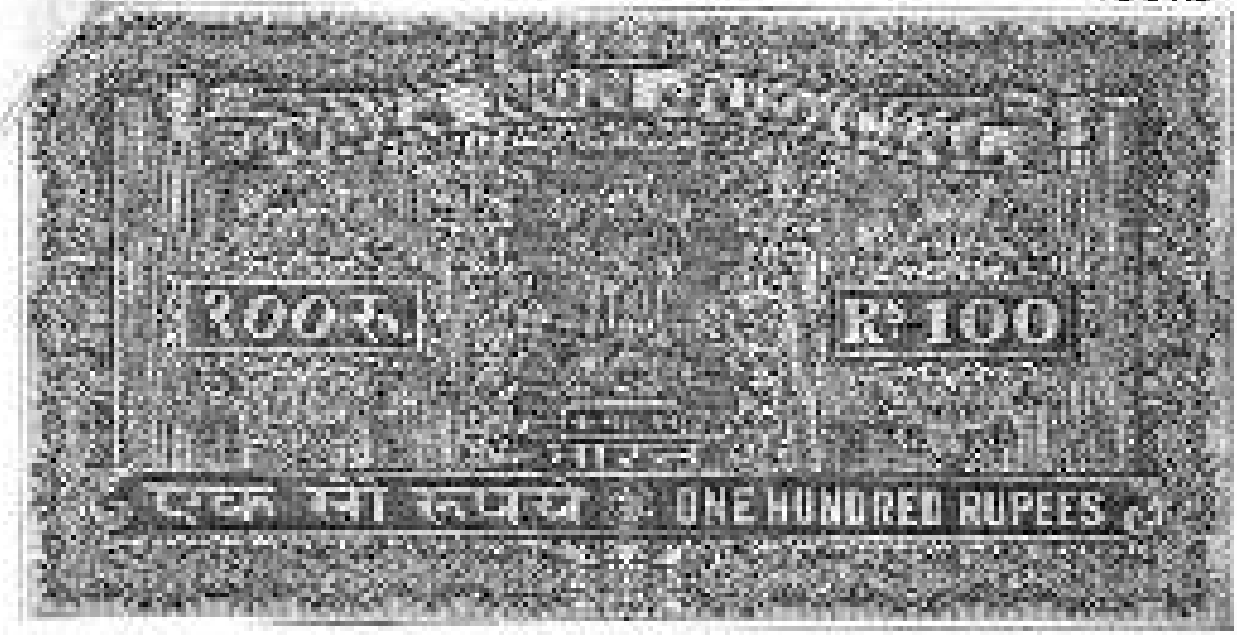

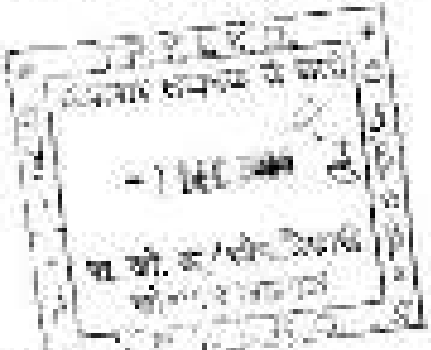

१०० रु.   Rs 100

भारत

एक सौ रुपये   ONE HUNDRED RUPEES

1,48,200/- रुपये है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारीय मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 19,400/- भारतीय स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआं, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर की परिधि में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस

100 Rs.

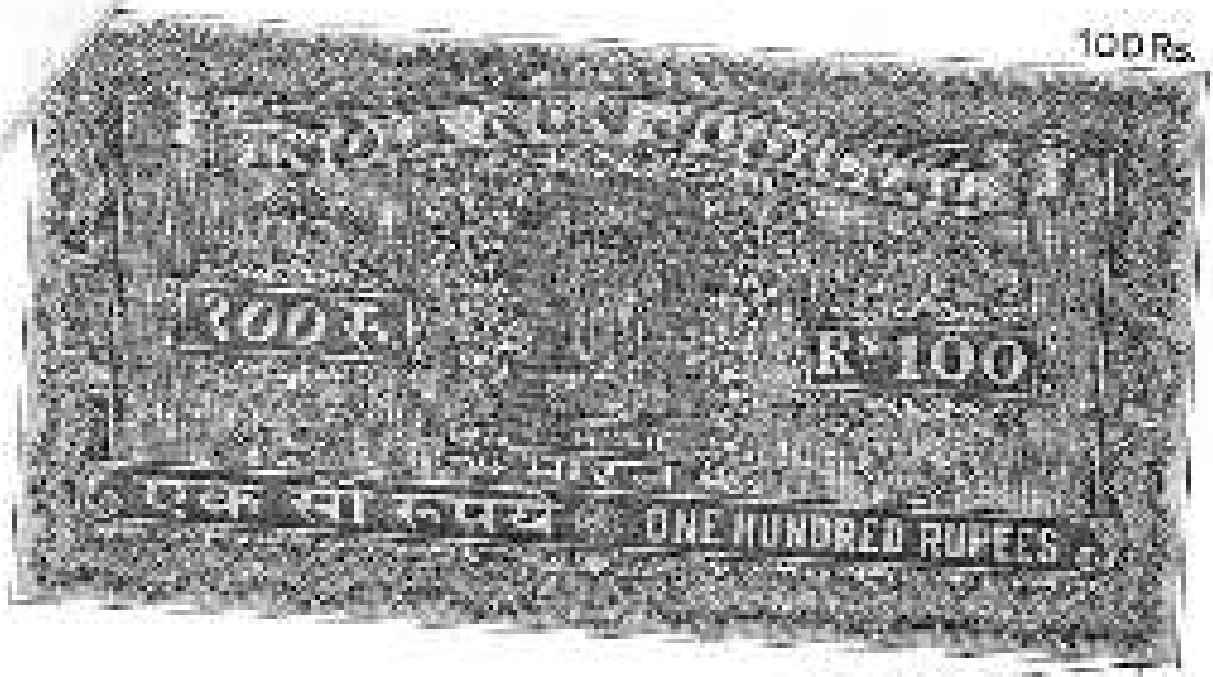

100 रु.

R 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

-2-

विक्रय विलेख के निष्पादन का सम्पूर्ण व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

प्रतिफल - [illegible]

भूमि खसरा नं0 254 रकबा 0.1[illegible] हेक्टेयर की 3/4 भाग अर्थात 0.[illegible] हेक्टेयर, स्थित ग्राम [illegible], परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं0 254, रकबा 0.1[illegible] हेक्टेयर

पूरब : खसरा संख्या-256

पश्चिम : खसरा संख्या 253

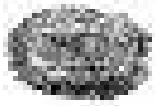

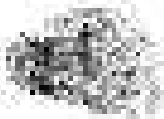

उत्तर : खसरा संख्या–247
दक्षिण : खसरा संख्या–266

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य विक्रेता को रू0 1,93,379/– एक लाख तिरानबे हजार तीन सौ उन्यासी रुपया क्रेता से द्वारा [illegible] प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में राजी खुशी बिना किसी और दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मस्तिष्क हुआ मे लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

लखनऊ
दिनांक: 13.12.2024
गवाह
1. [illegible]

विक्रेता

2. [illegible]

क्रेता

टंककर्ता
(राम सनेही)

मसविदाकर्ता
(संजय राम सिंह)
एडवोकेट

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

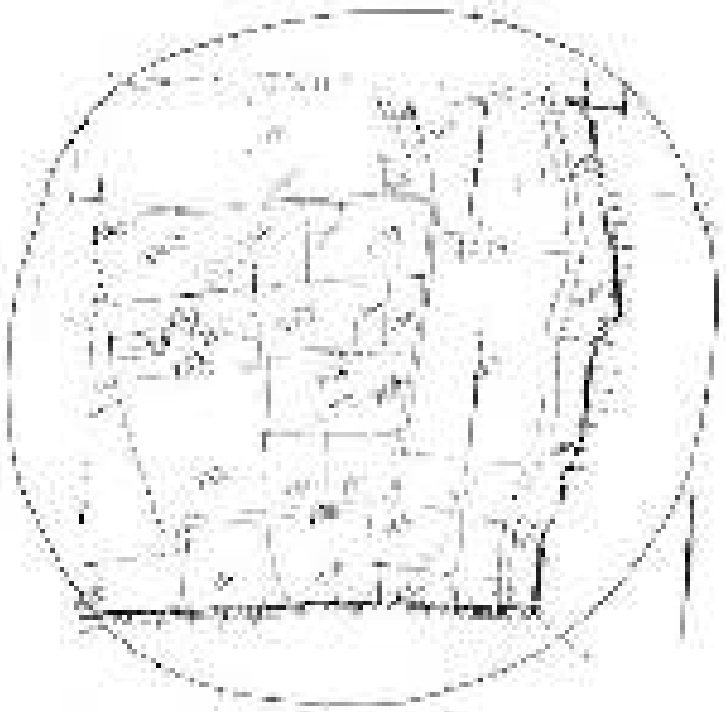

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता ....

....

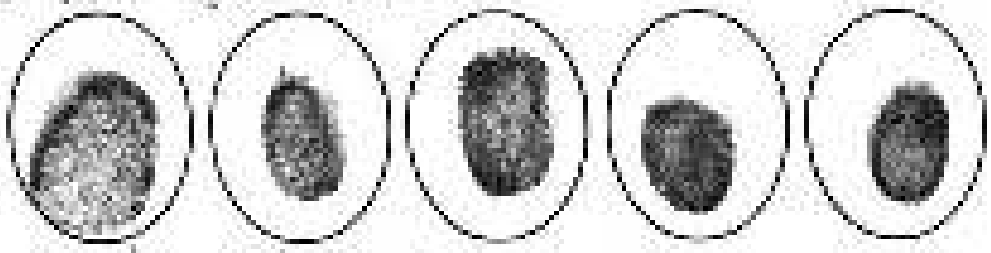

बाएं हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

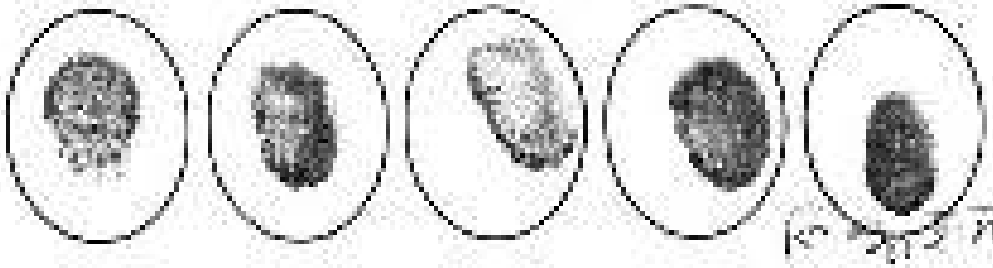

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता ....

....

बाएं हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

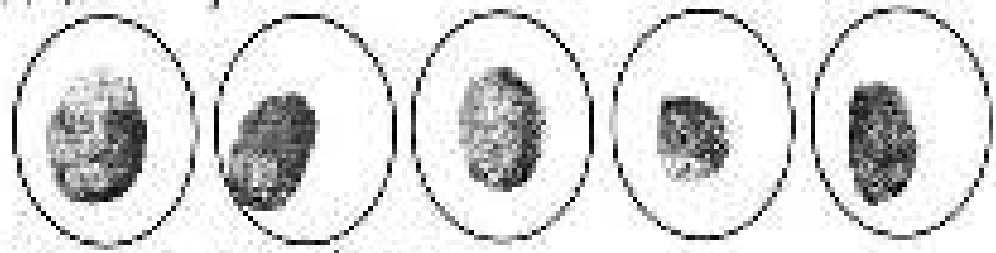

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

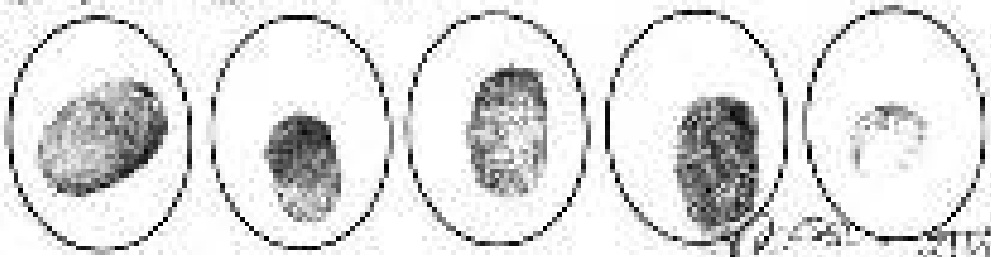

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन
हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

क्रेता के हस्ताक्षर

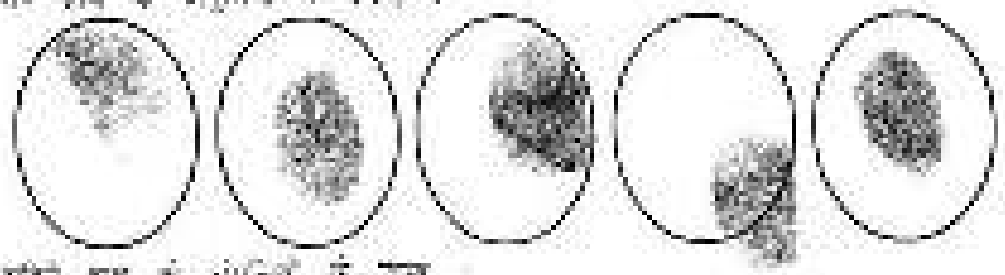

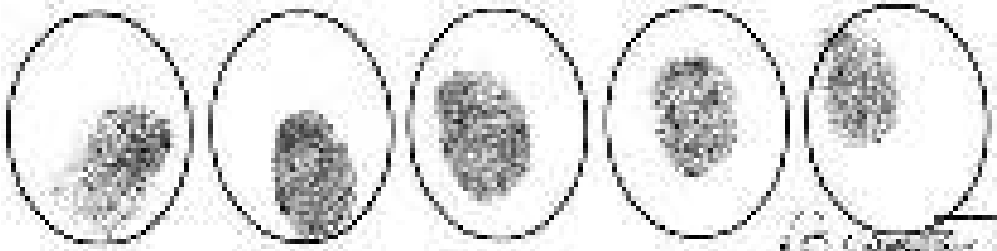

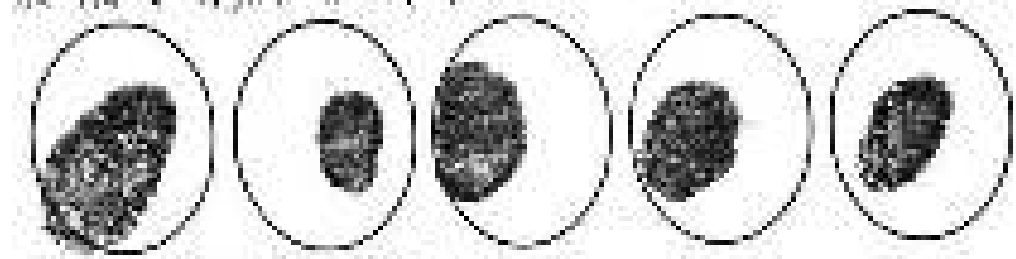

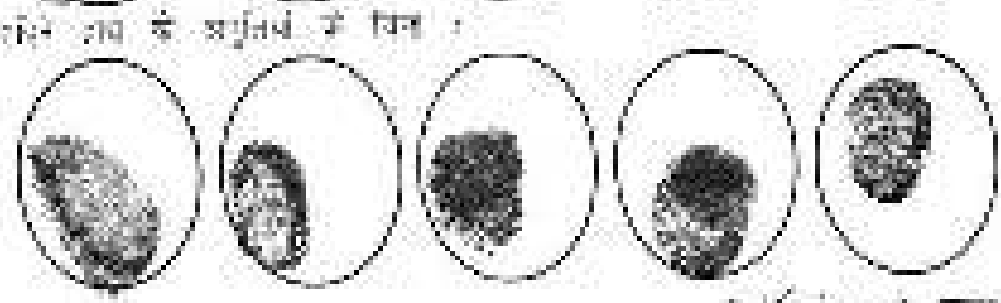

[illegible]